लाक डाउन का उल्लंघन करने वाले उद्योग सहित 20 लोगों पर जुर्माना, सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन होने पर छावनी के मंगल बाजार को कराया बंद

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम की टीम ने लाकडाउन का उल्लंघन करने वाले सौरभ इस्पात उद्योग कार्यालय , मंगल बाजार छावनी , लक्ष्मी मार्केट के किराना दुकान सहित कुल 20 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। उनसे कुल 15200 रुपए जुर्माना वसूला गया। जोन-4 वीर शिवाजी नगर की टीम ने छावनी के मंगल बाजार में भीड़ बढ़ने की वजह से बाजार को बंद कराया। व्यापारियों को बाजार नहीं लगाने की चेतावनी दी गई। सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू ने बताया कि बाजार में सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं हो रहा था। इस वजह से निगम और पुलिस की टीम ने सयुंक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाजार को बंद कराया। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग की टीम ने आज तीसरे दिन भी सख्ती के साथ कार्रवाई की! चौहान स्टेट में संचालित सौरभ इस्पात उद्योग के खिलाफ कार्रवाई की गई। संस्थान के कर्मचारी लाक डाउन में भी कार्यालय खोलकर कार्य कर रहे थे। आदेश का उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। साथ ही उन्हें लॉक डाउन की अवधि तक कार्यालय बंद रखने की समझाइश दी गई। लाकडाउन के तीसरे दिन मंगलवार को जोन- 1 की टीम ने लक्ष्मी मार्केट स्थित संजय मसाला , अंडे की दुकान सहित 8 लोगों से 7500 रुपए जुर्माना लगाया। जोन- 2 के स्वच्छता अधिकारी अनिल मिश्रा की टीम ने वैशाली नगर क्षेत्र में 4 लोगों से 900, जोन-4 की टीम ने एक व्यक्ति से 5000 और जोन-5 की टीम ने 7 लोगों से 1800 रुपए जुर्माना वसूला किया। दुकानदारों को लाक डाउन के नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। उल्लेखनीय है कि निगम प्रशासन की टीम लाकडाउन का पालन कराने के उद्देश्य से सुबह-शाम मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। बिना वजह घूमने वाले और कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के आदेश के विरूद्ध दुकान खोलकर व्यावसाय करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है।